न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–10/2018 **(हु.उ.)**

उनवान

1. रामसिंह पुत्र मिट्ठन जाति जाट निवासी ग्राम गोकलहेडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

..... प्रार्थी/असल रेस्पो0

बनाम

1. मथुरा पुत्र भौरा जाति जाट निवासी ग्राम मोकलहेडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

..... अप्रार्थी/अपीलांट

2. कमल पुत्र मथुरा प्रसाद,
3. लाखन पुत्र मथुरा प्रसाद,
4. चन्द्रा धर्मपत्नि कमल,
5. बीना धर्मपत्नि लाखन सिंह,
6. विश्वेन्द्र पुत्र कमल,
7. मन्नू पुत्र कमल,
8. विनोद पुत्र लाखन

जाति जाट निवासीयान ग्राम मोकलहेडी, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित :–
1. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता, अभिभाषक प्रार्थी ।
2. श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल, अभिभाषक अप्रार्थी ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–16.12.2019

यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2018 की पालना में इस न्यायालय में प्रस्तुत की गया है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि असल रेस्पो0 वादी प्रार्थी ने एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के न्यायालय में वाद संख्या 1/36/2017 बउनवान रामसिंह बनाम लाखनसिंह वगैरा का बाबत तकसीम किये जाने आराजी व हुक्मईम्तनाईदवामी का दायर किया था। जिस वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.

06.2016 को प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया। जिस अधीनस्थ न्यायालय के अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादी मथुरा प्रसाद ने दिनांक 21.12.2017 को इस न्यायालय में अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की जो अपील बउनवान मथुरा प्रसाद अपीलांट बनाम रामसिंह रेस्पो0 वगैरा है। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। आराजी खसरा नंबर 109 रकबा 03 बिस्वा मिन रेस्पो0 प्रार्थी रामसिंह की खातेदारी का है जो उक्त वाद में अन्य खसरा नंबरान के साथ साथ मिन प्रार्थी रेस्पो0 के हिस्से में आया है। उक्त अंतिम निर्णय व डिक्री की अनुपालना में दिनांक 27.11.2017 को तहसीलदार लक्ष्मणगढ मय पुलिस फोर्स मिन रेस्पो0 प्रार्थी को दखल दिलाया व पत्थर गढी करवाई । परन्तु दिनांक 20.02.2018 को अप्रार्थीगणों जो कि एक ही परिवार के सदस्य हैं, मय हथियार आकर प्रशासन द्वारा की गई पत्थर गढी को भी उखाड दिया।प्रार्थी के पुत्र मुकेश को जानकारी होने पर मौके पर आया तो उस पर हमला कर दिया।मिन प्रार्थी के पुत्र ने भागकर जान बचाई।इस घटना की रिपोर्ट प्रार्थी के पुत्र मुकेश ने थाना बडौदामेव में दिनांक 21.02.2018 को पेश की। लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की। अतः प्रार्थना पत्र हुक्म उदूली पेश कर प्रार्थना पत्र रेस्पो0 वादी प्रार्थी का स्वीकार किया जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को यह बखूबी जानकारी है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 03.01.2018 को रिकार्ड व मौके की आराजी खसरा नंबर 109 रकबा 3 बिस्वा वाके ग्राम मोकलहेडी की बाबत यथास्थिति के आदेश सादिर फरमाये हुये हैं। जो कि अप्रार्थी संख्या 1 की अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र पर सादिर फरमाये हैं। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को दिनांक 03.01.2018 की बखूबी जानकारी होते हुये भी उन्होंने आराजी खसरा नंबर 109 में 5 बाई 5 फुट का बटेबडा मिन प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में बना दिया तथा प्रशासन द्वारा की गई पत्थर गढी को भी उखाड दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 का यह कृत्य माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 03.01.2018 की अवहेलना हुक्म उदूली की श्रेणी में आता है। जिस कारण अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 03.01. 2018 की अवहेलना किये जाने के कारण सिविल कारावास से दण्डित किया जावे तथा अप्रार्थीगण की चल अचल संपत्ति को कर्क किया जाकर नीलाम किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र हुक्म उदूली रेस्पो0 वादी प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 अपीलांट व अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 08 को सख्त से सख्त सिविल कारावास की सजा दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जबाव बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि खसरा नंबर 109 पर पाईप लाईन डली हुई है। मकान बने हुये हैं। विवादित आराजी पर कब्जा अप्रार्थी का ही था। उपखण्ड अधिकारी द्वारा जानबूझकर उक्त खसरा नंबर 109 को अपीलांट को अलॉट कर दिया। जबकि अप्रार्थी का पूर्व से ही विवादित आराजी पर कब्जा था। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2018 का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया।

इस संदर्भ में इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 04/2018 आदेश दिनांक 03.01.2018 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित इस न्यायालय की अपील संख्या 22/2018 बउनवान मथुरा बनाम रामसिंह को निर्णय दिनांक 16.12.2019 द्वारा अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय निरस्त करते हुये प्रकरण तहत अदालत में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि "सभी सहखातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खण्ड 53 नियम 18–21 की पालना करते हुये सभी सहखातेदारान के कुर्रेजात, सभी सहखातेदारान को रास्ता कायम करते हुये, कायम रास्ते को किसी की भी खातेदारी में दर्ज न करते हुये (रास्ता कायम की आराजीयात को सामूहिक दर्ज करते हुये) पुनः विधिवत निर्देशानुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर निर्णय पारित करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें"

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ का आदेश दिनांक 02.06.2017 निरस्त कर संबंधित प्रकरण उचित निर्देशों के साथ तहत अदालत में प्रतिप्रेषित किया जा चुका है जिस कारण प्रस्तुत प्रकरण बाबत हुकम उदूली औचित्यहीन है।

अतः प्रार्थना पत्र हुक्म उदूली औचित्यहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना) 16/12/19
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर